माननीय विद्वत परिषद्

की 80वीं (विशेष) बैठक का कार्यवृत

स्थान	:	वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम
दिनांक	:	08.07.2021
समय	:	अपराह्न 12.30 बजे

कुलसचिव कार्यालय

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,

मेरठ– 250 110

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

संकल्प संख्या– 1 माननीय विद्वत परिषद की 80वीं (विशेष) बैठक के एजेण्डों पर लिये गये निर्णय एवं कार्यवाही के सम्बंध में।

प्रस्ताव–1 **राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–4229/जी0एस0 दिनांक 02.07.2021 तथा उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67–कृशिअ–211099/26/2021 दिनांक 05.07.2021 के अनुसार सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के लिये शासन द्वारा स्वीकृत सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड भर्ती प्रक्रिया सहित एवं आवेदन पत्र निर्धारण करने के संबंध में।**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–4229/जी0एस0 दिनांक 02.07.2021 तथा उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67–कृशिअ–211099 /26/2021 दिनांक 05.07.2021 एवं राज्यपाल सचिवालय में दिनांक 05.07.2021 को हुई बैठक में चर्चा के अनुसार प्राध्यापक, सहप्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया UGC 2018 रेगुलेशन में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावित सहायक आचार्य, सह आचार्य एवं आचार्य के पदों पर सीधी भर्ती हेतु स्कोर कार्ड भर्ती प्रक्रिया सहित अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही आवेनदन पत्र के प्रारूप में चर्चा उपरान्त सेवा इतिहास एवं अनुभव (Employment Record & Experience) की सूचना हेतु निम्नलिखित तालिका को सम्मिलित कर आवेदन पत्र का प्रस्तुत प्रारूप अनुमोदित किया गया।

Employment Record & Experience (appointment letter & Experience certificate enclosed)						
Designation	Pay scale	Nature of work	Organization/ Institution & Place of posting	Period		Duration (years, month, day)
				From	To	

(सलग्नक–2 पृष्ठ संख्या 01 से 10 तक) कार्यवाहीः निदेशक, प्रशासन एवं अनुश्रवण

प्रस्ताव–2 **राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–4229/जी0एस0 दिनांक 02.07.2021 तथा उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67–कृशिअ–211099/26/2021 दिनांक 05.07.2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों को विज्ञापन संख्या VI/2021, VII/2021, VIII/2021, IX/2021, X/2021 and XI/2021 को विज्ञापित करने के संबंध में।**

माननीय विद्वत परिषद द्वारा उक्त प्रस्ताव पर विस्तार से चर्चा की गयी तथा राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या ई–4229/जी0एस0 दिनांक 02.07.2021 तथा उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या 1679327/67–कृशिअ–211099 /26/2021 दिनांक 05.07.2021 एवं राज्यपाल सचिवालय में दिनांक 05.07.2021 को हुई वार्ता के अनुसार प्राध्यापक, सहप्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया यू.जी.सी. मानकों के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक पदों को विज्ञापन संख्या VI/ 2021, VII/2021, VIII/2021, IX/2021, X/2021 and XI/2021 को विज्ञापित करने के संबंध में" अनुमोदित विज्ञापनों में UGC 2018 के मानकों की अर्हता के अनुसार तैयार किये गये प्रस्तावित विज्ञापन संख्या VI/ 2021, VII/2021, VIII/2021, X/2021 and XI/2021 का अनुमोदन किया गया। इसके साथ ही पशुचिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय के विज्ञापन संख्या IX/2021, में प्राध्यापक पद की प्रस्तावित अर्हता पर सहमति नहीं होने के कारण आगामी बैठक में पुनः प्रस्ताव प्रेषित करने का अनुमोदन किया गया। साथ ही विज्ञापित होने वाले विज्ञापनों से Instructions for completion of the Application Form में दिये गये a से f तक के निर्देश आवेदन पत्र में एवं स्कोर कार्ड में सुगम रूप से होने के कारण विज्ञापनों में पुनः दिये जाने की आवश्यकता नहीं होने के दृष्टिगत विज्ञापनों से निम्न वर्णित हटाने पर सहमति भी व्यक्त की गयी।

सचिव
विद्वत परिषद

डा0 आर0 के0 मित्तल

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

33	डा0 आर0 बी0 यादव	प्राध्यापक	सस्य विज्ञान	कृषि
34	डा0 सतेन्द्र कुमार	प्राध्यापक	मृदा एवं कृषि रसायन विभाग	कृषि
35	डा0 गजे सिंह	प्राध्यापक	कीट विज्ञान	कृषि
36	डा0 सतेन्द्र कुमार	प्राध्यापक	प्रसार निदेशालय	प्रसार निदेशालय
37	डा0 मुकेश कुमार	प्राध्यापक	प्रसार निदेशालय	प्रसार निदेशालय
38	डा0 एच0एल0 सिंह	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	कृषि अर्थशास्त्र	कृषि
39	डा0 डी0वी0 सिंह	प्राध्यापक	कीट विज्ञान	कृषि
40	डा0 आर0के0 नरेश	प्राध्यापक एवं पी जी फैकल्टी सैक्रेटरी	सस्य विज्ञान	कृषि
41	डा0 प्रशान्त मिश्रा	प्राध्यापक	पादप रोग विज्ञान	कृषि
42	डा0 रेखा दीक्षित	प्राध्ययापक एवं विभागाध्यक्ष	कॉमर्शियल बॉयोटैक	जैव प्रौद्योगिकी
43	डा0 विजय सिंह	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	वेटनरी गायनोकोलॉजी एवं ओबस्ट्रीक्स	पशु चिकित्सा
44	डा0 अमित कुमार	फैकल्टी सैक्रेटरी, जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	इम्यूनोलॉजी एण्ड डिफैन्स मैकेनिज्म	जैव प्रौद्योगिकी
45	डा0 आकाश तोमर	प्रभारी रिकॉम्बीनेशन टैक्नीक	रिकॉम्बीनेशन टैक्नीक	जैव प्रौद्योगिकी
46	डा0 पुरूषोत्तम	प्रभारी पैथोलॉजी एण्ड माइकोबायोलॉजी	पैथोलॉजी एण्ड माइकोबायोलॉजी	जैव प्रौद्योगिकी
47	डा0 वीर पाल सिंह	प्रभारी एल0पी0टी0	एल0पी0टी0	पशु चिकित्सा
48	डा0 मो0 अमीर खान	प्रभारी वेटनरी एक्सटेन्शन	वेटनरी एक्सटेन्शन	पशु चिकित्सा
49	डा0 विवेक मलिक	प्रभारी वेटनरी सर्जरी एण्ड रेडियोलॉजी	वेटनरी सर्जरी एण्ड रेडियोलॉजी	पशु चिकित्सा
50	डा0 देवाशीष राय	फैकल्टी सैक्रेटरी पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय/प्रभारी वेटनरी एनीमल न्यूट्रीशन	एनीमल न्यूट्रीशन	पशु चिकित्सा
51	डा0 आर0 के0 सिंह	प्रभारी वेटनरी फिजियोलॉजी एण्ड बायोकैमिस्ट्री	वेटनरी फिजियोलॉजी एण्ड बायोकैमिस्ट्री	पशु चिकित्सा
52	डा0 कुलदीप त्यागी	प्रभारी वेटनरी जैनेटिक्स एण्ड ब्रीडिंग	वेटनरी जैनेटिक्स एण्ड ब्रीडिंग	पशु चिकित्सा
53	डा0 प्रभाकर कुमार	प्रभारी वेटनरी एनाटोमी	वेटनरी एनाटोमी	पशु चिकित्सा
54	डा0 नीलेश चौहान	प्रभारी फूड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी एस्यूरेन्स	फूड सेफ्टी एण्ड क्वालिटी एस्यूरेन्स	कटाई उपरान्त तकनीकी
55	डा0 सुरेश चन्द्रा	प्रभारी फूड प्रोसेस इंजी0	फूड प्रोसेस इंजी0	कटाई उपरान्त तकनीकी
56	डा0 जयवीर सिंह	प्रभारी एरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजी0	एरीगेशन एण्ड ड्रेनेज इंजी0	तकनीकी
57	डा0 जितेन्द्र सिंह	प्रभारी इम्यूनोलॉजी एण्ड डिफैन्स मैकेनिज्म	इम्यूनोलॉजी एण्ड डिफैन्स मैकेनिज्म	जैव प्रौद्योगिकी
58	डा0 श्वेता मिश्रा	प्रभारी फिंगर प्रिन्टिंग	फिंगर प्रिन्टिंग	जैव प्रौद्योगिकी

निम्न सदस्यगण अनुउपस्थित रहे।

क0स0	नम	पद नाम	विभाग	महाविद्यालय0
1	श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा	वित्त नियंत्रक	–	–
2	डा0 राजबीर सिंह	प्राध्यापक	सस्य विज्ञान	कृषि
3	डा0 एल0बी0 सिंह	प्राध्यापक	कृषि प्रसार	कृषि
4	डा0 राज कुमार	फैकल्टी सैक्रेटरी कृषि महाविद्यालय	पशु उत्पादन	कृषि
5	डा0 राजीव सिंह	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	वेटनरी माइक्रोबॉयोलॉजी	पशु चिकित्सा
6	डा0 तरूण सरकार	प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष	वेटनरी मेडिसिन	पशु चिकित्सा
7	डा0 एस0पी0 यादव	प्राध्यापक	पशु उत्पादन	कृषि
8	डा0 विवाक कुमार	प्रभारी मशीनरी एण्ड पावर इंजी0	मशीनरी एण्ड पावर इंजी0	तकनीकी
9	डा0 मुकेश कुमार	प्राध्यापक	फलोरीकल्चर एण्ड लेण्डस्केपिंग आरकेटैक्चर	उद्यान

कुलसचिव/सचिव
विद्वत परिषद

v

08.7.2021
डा0 आर0 के0 सिं

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

1

संलग्नक-2

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut

Selection Process for Assistant Professor

Advertisement No. ....

Candidate Name: .... **Subject : ....**

Father's Name : .... **Category: GEN/OBC/SC/ST- (State.................................)**

Sub Category : ....

Step-I of Selection Process: Criteria for short listing of candidates for interview for the post of Assistant Professor in Universities.

Table- 3A

A.	Academic Score	Score				Marks
1	**Graduation**	80% & above = 15	60% to less than 80%=13	55% to less than 60%=10	45% to less than 55%=05	
2	**Post Graduation**	80% & above = 25	60% to less than 80%=23	55% (50% in case SC/ST/OBC (non-creamy layer)/PWD) to less than 60% = 20)		
3	**M.Phil.**	60% & above = 07	55% to less than 60%=05			
4	**Ph.D.**	30				
5	**NET with JRF**	07				
	NET	05				
	SLET/SET	03				
6	**Research Publication** (2.0 Marks for each research publications published in peer-reviewed or UGC listed Journals)	10				
7	Teaching / Post Doctoral Experience (02 marks for one year marks each)#	10				
	#However, if the period of teaching/Post-doctoral experience is less than one year then the marks shall be reduced proportionately.					
8	**Awards**					
	International / National Level (Awards given by International Organisations / Government of India / Government of India recognized National Level Bodies)	03				
	State- Level (Awards given by State Government)	02				
	Note : (i) M. Phil. + Ph.D. (ii) JRF/NET/SEL (iii) In award category	Maximum – 30 Marks Maximum - 07 Marks Maximum - 03 Marks				
	Total	**100**				
B.	**Domain knowledge :** Objective type Written Examination for subject knowledge	**40 Marks**				
	Total (A+B)	**140**				

Academic Score	-	80
Research Publication	-	10
Teaching Experience	-	10
Written Exam	-	40
Total	-	**140**

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Criteria for short listing of candidates for teaching skill test & interview:

1. The Scrutiny Committee will assess the marks of applicants in the in Academic Score (Table-3A) on the basis of information provided by the candidate in the application.

2. The marks awarded in Academic Score (Table-3A) to the applicants will be published in the university website and objections will be invited. For raising objection, 07 days time will be provided. All objections will be received through an email ID **recruitmentsvpuat2021@gmail.com.** The objections received within the stipulated time will be resolved by the Scrutiny Committee and revised marks will be again published.
3. To test the domain knowledge, an objective type written examination of 40 marks will be conducted and the result will be declared by the university as soon as possible. Marks obtained by each candidate will be published on university website and objections if any, on the marks obtained will be invited in 03 days time. All objections will be received through email. The objections received within time will have to be resolved and revised marks will again be published.
4. A combined merit list will be prepared on the basis of marks obtained in Academic Score and written examination (A+B of Table-3A) by the University.
5. From this combined merit list, the candidates will be shortlisted for teaching skill test and interview in a ratio of 10 times for one post followed by 05 times for each additional post by the University.

Step-II of Selection Process : The shortlisted will be called for Step II of selection process i.e. Teaching Skills test and interview. The shortlisted candidates will be invited on a specified date and a topic will be allotted to each one of them on which they will have to make a power point presentation and present it before 15-20 students of the subject concerned. The process of power point preparation and presentation will be conducted in presence of the Selection Committee members. After that, the Selection Committee will conduct the interview. Final selection will be based on the marks obtained by the candidate in teaching skill test and interview (20+10=30). The marks allotted for step II of selection process will be as follows :

SN	Selection Parameters	Marks
1	**Knowledge of Teaching Skill** (Knowledge of Computer working for online class etc and presentation in the class)	**20**
2	**Interview**	**10**
	Total	**30**

2

कुलसचिव / सचिव
विद्वत परिषद

08.7.25
डा० आर० के० मि
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

Sardar Vallabhbhai Patel University of Agriculture & Technology, Meerut

Selection Process for Associate Professor & Professor

Advertisement No. ....
Candidate Name: ....
Father's Name : ....
Subject :......................................
Category: GEN/OBC/SC/ST- (State.................)
Sub Category : ....

Step-I of Selection Process: Methodology for University and College Teachers for calculating Academic /Research Score for short listing of the candidates for the interview for the post of Associate Professor and Professor in Universities.

Table- 2

(Assessment must be based on evidence produced by the teacher such as: copy of publications, project sanction letter, utilization and completion certificates issued by the University and acknowledgements for patent filing and approval letters, students' Ph.D. award letter, etc.,)

S.N.	Academic/Research Activity	Faculty of Sciences/Engineering/Agriculture/ Medical/Veterinary sciences
1.	**Research Papers in Peer-Reviewed or UGC listed Journals**	08 per paper
2.	**Publications (other than Research papers)**	
	(a) Books authored which are published by ;	
	International publishers	12
	National Publishers	10
	Chapter in Edited Book	05
	Editor of Book by International Publisher	10
	Editor of Book by National Publisher	08
	(b) Translation works in Indian and Foreign Languages by qualified faculties	
	Chapter or Research paper	03
	Book	08
3.	**Creation of ICT mediated Teaching Learning pedagogy and content and development of new and innovative courses and curricula**	
	(a) Development of Innovative pedagogy	05
	(b) Design of new curricula and courses	02 per curricula/course
	(c) MOOCs	
	Development of complete MOOCs in 4 quadrants (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 05 marks/credit)	20
	MOOCs (developed in 4 quadrant) per module/lecture	05
	Content writer/subject matter expert for each module of MOOCs (at least one quadrant)	02
	Course Coordinator for MOOCs (4 credit course) (In case of MOOCs of lesser credits 02 marks/credit)	08
	(d) E-Content	
	Development of e-Content in 4 quadrants for a complete course/e-book	12
	e-Content (developed in 4 quadrants) per module	05
	Contribution to development of e-content module in complete course/paper/e-book (at least one quadrant)	02
	Editor of e-content for complete course/paper/e-book	10
4.	**(a) Research guidance**	
	Ph.D.	10 per degree awarded 05 per thesis submitted
	M.Phil./P.G dissertation	02 per degree awarded
	(b) Research Projects Completed	10
	More than 10 lakhs	05

(3)

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

	Less than 10 lakhs	
	(c) Research Projects Ongoing :	
	More than 10 lakhs	05
	Less than 10 lakhs	02
	(d) Consultancy	**03**
5.	**(a) Patents**	
	International	10
	National	07
	(b) *Policy Document (Submitted to an International body/organization like UNO/UNESCO/World Bank/International Monetary Fund etc. or Central Government or State Government)	
	International	10
	National	07
	State	04
	(c) Awards/Fellowship	
	International	07
	National	05
6.	***Invited lectures/Resource Person/paper presentation in Seminars/Conferences/full paper in Conference Proceedings (Paper presented in Seminars/Conferences and also published as full paper in Conference Proceedings will be counted only once)**	
	International (Abroad)	07
	International (within country)	05
	National	03
	State/University	02

The Research score for research papers would be augmented as follows :

Peer-Reviewed or UGC-listed Journals (Impact factor to be determined as per Thomson Reuters list) :

(i) Paper in refereed journals without impact factor – 5 Points
(ii) Paper with impact factor less than 1 – 10 Points
(iii) Paper with impact factor between 1 and 2 – 15 Points
(iv) Paper with impact factor between 2 and 5 – 20 Points
(v) Paper with impact factor between 5 and 10 – 25 Points
(vi) Paper with impact factor > 10 – 30 Points
(a) Two authors : 70% of total value of publication for each author.
(b) More than two authors : 70% of total value of publication for the First/Principal/Corresponding author and 30% of total value of publication for each of the joint authors.

Joint Projects : Principal Investigator and Co-investigator would get 50% each.

Note :

- Paper presented if part of edited book or proceeding then it can be claimed only once.
- For joint supervision of research students, the formula shall be 70% of the total score for Supervisor and Co-supervisor. Supervisor and Co-supervisor, both shall get 7 marks each.
- *For the purpose of calculating research score of the teacher, the combined research score from the categories of 5(b). Policy Document and 6. Invited lectures/Resource Person/Paper presentation shall have an upper capping of thirty percent of the total research score of the teacher concerned.
- The research score shall be from the minimum of three categories out of six categories.

Criteria for short listing of candidates for interview:

1. The Scrutiny Committee will assess the Academic/Research Score as per Table-2 of applicants on the basis of information provided by the candidate in the application.

(4)

08-7-2021

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

2. After calculating Academic/Research Score by the committee, the list will be published in the university website and objections will be invited. For raising objection, 07 days time will be provided. All objections will be received through an email ID **recruitmentsvpuat2021@gmail.com.** The objections received within the stipulated time will be resolved by the Scrutiny Committee and revised marks will be again published.
3. A merit list will be prepared on the basis of marks obtained in Academic/Research (Table-2) by the University.
4. From this merit list, the candidates will be shortlisted for interview in a ratio of 10 times for one post followed by 05 times for each additional post by the University.

Step-II of Selection Process : Interview (Maximum Marks 20)

The shortlisted candidates will be called for Step II of selection process i.e. interview. Final selection will be based on the marks obtained by the candidate in interview.

(5)

कुलसचिव / सचिव
विद्वत परिषद

08.7.2021
डा० आर० के० मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027.

संख्या ई– 6355 /जी0एस0.
दिनांकः 19, अक्टूबर, 2020.

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति/कुलाध्यक्ष के अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 सैम हिग्गिनबॉटम कृषि, प्रौ0 एवं विज्ञान विश्वविद्यालय, प्रयागराज
8. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
9. कुलपति, डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
10. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
11. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
12. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
13. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
14. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
15. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
16. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
17. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
18. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
19. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
21. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
22. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
23. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
24. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
25. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर–हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ
26. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत–विश्वविद्यालय, लखनऊ
27. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
28. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
29. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
30. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
31. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर

V. C. Office, University of Agriculture ... S. V. B. P. ... Meerut
R No. 6605
Dt. 26/10/2020

SVPUA&T, Meerut
Rec. 99
Date 26/10/20

विषय– शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति तथा परीक्षा हेतु साक्षात्कार।

महोदय,

विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों मे शैक्षणिक पदों के बारे में जो भी नियुक्ति की प्रकिया अपनाई जा रही है उसके सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि समग्र नियुक्ति प्रकिया पारदर्शी रूप से सम्पन्न कराई जाये तथा विशेष रूप से साक्षात्कार की आडियों एवं वीडियों रिकार्डिंग अनिवार्य रूप से कराई जाये और प्रकिया के पूर्ण होने के बाद कम से कम 2 वर्ष तक अनिवार्य रूप से इस रिकार्डिंग को सुरक्षित रखी जाये तथा उसकी एक प्रति कुलाधिपति कार्यालय को भी उपलब्ध कराई जाये।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

डॉ0 आर0 के0 मित्तल
कुलपति
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

26.10.2020

27.10.2020

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश
लखनऊ–226027
संख्या ई– 3019 /32–जी0एस0/2020.
दिनांक: 18 अप्रैल, 2021.

आदेश

विश्वविद्यालयों के विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु **'साक्षात्कार में पारदर्शिता'** के संदर्भ में दिनांक 05 अक्टूबर, 2020 को कुलाधिपति की अध्यक्षता में कतिपय विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण के साथ चर्चा हुई थी। उक्त चर्चा के क्रम में सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रकिया लागू करने के लिए बैठक में प्रकाश में आये सभी बिन्दुओं पर विचार करके कुलपतिगण की एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति में सामान्य विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, प्राविधिक विश्वविद्यालय तथा चिकित्सा विश्वविद्यालय के 05 कुलपतिगण सम्मिलित किये गये थे। इस समिति की बैठक दिनांक 09 फरवरी, 2021 को आहूत की गयी थी। बैठक में उपस्थित समस्त सदस्यों द्वारा सभी विश्वविद्यालयों में एक समान चयन प्रक्रिया को लागू करने के लिए सहमति व्यक्त की गयी। उक्त क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु **'साक्षात्कार में पारदर्शिता'** लाने के उद्देश्य से निम्न प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है:–

अ– सहायक आचार्यः–

1) **सहायक आचार्य पद** हेतु सम्पूर्ण चयन प्रकिया में निम्न प्रकार से गुणानुकम निश्चित होगाः–

(i)	स्नातक/स्नातकोत्तर/एम0फिल0 तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर (चिकित्सा/कृषि शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं हैं तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी)	50 अंक
(iii)	विषय की जानकारी के लिए लिखित परीक्षा	20 अंक
(iv)	शिक्षण कौशल की जानकारी (ऑनलाइन कक्षाओं आदि के लिए कम्प्यूटर पर कार्य करने की जानकारी तथा कक्षा के समक्ष	20 अंक

V.C. Office 6960 27/05/21

नि० (प्र०एवं मू०)

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

	प्रस्तुतीकरण)	
(v)	साक्षात्कार	10 अंक
	सकल पूर्णांक	100 अंक

2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच तथा उसमें वर्णित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores तथा API Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "संवीक्षा समिति" (Scrutiny Committee) कहा जायेगा।
3) बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक–1 के अनुसार होगी।
4) सभी प्रकार के गुणांकों Basic Academic Scores तथा API Score को इनकी गणना करके तुरन्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके संबंध में आपत्तियॉं आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियॉं प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियॉं ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी और इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई–मेल आई०डी० प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित गुणॉक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "संवीक्षा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
5) सभी अभ्यर्थियों का डोमेन नॉलेज (Domain knowledge) का आंकलन करने के लिए आब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा ली जायेगी। लिखित परीक्षा का आयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि इसमें पूरी पारदर्शिता हो और परीक्षा आयोजन के तत्काल बाद यथा सम्भव उसी दिन इसका परिणाम घोषित किया जाये। प्राप्तांक तत्काल प्रकाशित किया जायेगा और इसके सम्बन्ध में भी आपत्तियॉं आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियॉं प्राप्त करने हेतु 03 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियॉं ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित प्राप्तांक प्रकाशित किया जायेगा। परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियन्त्रक उत्तरदायी होगा।
6) Basic Academic Scores, API Score तथा लिखित परीक्षा के समेकित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
7) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा इस मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता कम के आधार पर अग्रिम चरणों के लिए shortlisting की जायेगी।
8) उपरोक्तानुसार shortlisted अभ्यर्थियों की Teaching Skills की परीक्षा ली जायेगी। इस हेतु shortlisted अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर आमन्त्रित किया जायेगा तथा प्रत्येक को एक विषय दिया जायेगा जिस पर उनके द्वारा एक Power Point Presentation तैयार करना होगा और उसके आधार पर 15–20 छात्रों की उपस्थिति में विषय का प्रस्तुतीकरण करना होगा। Power Point Presentation तैयार करने की प्रक्रिया तथा प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सम्पादित की जायेंगी।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

9) तदुपरान्त चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और साक्षात्कार के तुरन्त बाद परिणाम बन्द लिफाफे में कुलपति को सौंप दिया जायेगा।
10) Teaching Skills तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम 03 महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा।

ब– सह आचार्य एवं आचार्य

1) **सह आचार्य एवं आचार्य** के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विभिन्न विषयों में निम्नानुसार गुणानुक्रम होगा :–

(i)	स्नातक / स्नातकोत्तर / एम0फिल0 तथा समतुल्य डिग्री के आधार पर बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score)	20 अंक
(ii)	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर (चिकित्सा / कृषि शिक्षा / प्राविधिक शिक्षा आदि विश्वविद्यालयों के सन्दर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय की नियामक संस्था द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुसार ए0पी0आई0 स्कोर की गणना की जायेगी। यदि नियामक संस्था द्वारा कोई निर्देश नहीं हैं तो उस दशा में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित व्यवस्था मान्य होगी)	60 अंक
(iii)	साक्षात्कार	20 अंक
	पूर्णांक	100 अंक

2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच के लिए एक समिति का गठन किया जायेगा जो कि समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच तथा उसमें वर्णित विवरण के अनुसार Basic Academic Scores तथा API Score की गणना सुनिश्चित करेगी। इस समिति को "संवीक्षा समिति" (Scrutiny Committee) कहा जायेगा।
3) बेसिक अकादमिक स्कोर (Basic Academic Score) की गणना संलग्नक–1 के अनुसार होगी।
4) सभी प्रकार के गुणांकों Basic Academic Scores तथा API Score को इनकी गणना करके तुरन्त प्रकाशित किया जायेगा और इनके संबंध में आपत्तियॉ आमन्त्रित की जायेंगी। आपत्तियॉ प्राप्त करने हेतु 07 दिन का समय दिया जायेगा। सभी आपत्तियॉ ई–मेल के माध्यम से प्राप्त की जायेंगी और इसके लिए रिक्त पदों के विज्ञापन के समय ही एक ई–मेल आई0डी0 प्रकाशित की जायेगी। निर्धारित अवधि में यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित गुणॉक प्रकाशित किया जायेगा। यह कार्य "संवीक्षा समिति" द्वारा निष्पादित किया जायेगा।
5) Basic Academic Scores तथा API Score के समेकित स्कोर के आधार पर विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा एक मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
6) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक द्वारा इस मेरिट लिस्ट से उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष एक पद हेतु अधिकतम 10 गुना तथा उसके बाद प्रत्येक पद हेतु अधिकतम 5 गुना अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम के आधार पर अग्रिम चरणों के लिए shortlisting की जायेगी। shortlisted अभ्यर्थियों को नियत तिथि पर साक्षात्कार हेतु आमन्त्रित किया जायेगा।
7) चयन समिति द्वारा साक्षात्कार की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी और साक्षात्कार के तुरन्त बाद परिणाम बन्द लिफाफे में कुलपति को सौंप दिया जायेगा।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

8) साक्षात्कार की प्रक्रिया की ऑडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम 03 महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा।

सभी विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0), मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया (एम0सी0आई0), आल इण्डिया काउंसिल फार टेक्निकल एजूकेशन (ए0आई0सी0टी0ई0), इण्डियन काउंसिल फार एग्रीकल्चरल रिसर्च (आई0सी0ए0आर0), रिहैबिलिटेशन काउंसिल आफ इण्डिया (आर0सी0आई0) आदि विभिन्न नियामक संस्थाओं (Regulatory Bodies) के दिशा–निर्देशों/नियमों का उल्लंघन न होने पाये तथा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्णरूपेण पारदर्शी बनी रहे।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)

कुलाधिपति

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी—फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर—हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत—विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ

39\. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ

30\. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

संलग्नक–1

उपाधि	प्राप्तांक प्रतिशत में	प्राप्तांक
स्नातक	48% से कम प्राप्तांक	शून्य
	48% या उससे अधिक किंतु 55% से कम	03 अंक
	55% या उससे अधिक किंतु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किंतु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किंतु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक	07 अंक
परास्नातक	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किंतु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किंतु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किंतु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक किंतु 75% से कम	07 अंक
	75% या उससे अधिक किंतु 80% से कम	08 अंक
	80% या उससे अधिक किंतु 90% से कम	09 अंक
	90% या उससे अधिक	10 अंक
एम0फिल0	यदि एम0फिल0 है तो	03 अंक
	यदि एम0फिल0 नहीं है तो	शून्य

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश
लखनऊ – 226027

संख्या : ई– 3047 /जी0एस0
दिनांक : 21 मई, 2022

कार्यालय ज्ञाप

राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के बारे में कृपया मा0 कुलाधिपति के आदेश संख्या : ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं सपठित आदेश संख्या : ई–4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इन आदेशों के सन्दर्भ में एक स्पष्टीकरण पत्र इस कार्यालय के पत्रांकः ई–2385/जी0एस0 दिनांक 28 अप्रैल, 2022 निर्गत किया गया था।

इन आदेशों के माध्यम से राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के बारे में जो व्यवस्थायें प्रतिपादित की गयी हैं, उनकी भावनाओं के विपरीत कतिपय राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा इनका कियान्वयन किये जाने की बातें संज्ञान में आयी हैं। कतिपय विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा ए0पी0आई0 स्कोर तथा लिखित परीक्षा का परिणाम समग्रता में वेब पोर्टल पर नहीं प्रकाशित किये गये वरन् प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल उसी का ए0पी0आई0 स्कोर तथा लिखित परीक्षा का परिणाम भेजा गया। साक्षात्कार के उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों का नाम वेब पोर्टल पर प्रकाशित नहीं किया गया। शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार के विभिन्न चरणों की वीडियो रिकार्डिंग सही तरीके से नहीं की जा रही है, आदि।

उक्त आलोक में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1. शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रकिया में मा0 कुलाधिपति के आदेश संख्याः ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं सपठित आदेश संख्याः ई–4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये। समय–समय पर इस बारे में निर्गत स्पष्टीकरणों का भी संज्ञान लेते हुए उनका अनुपालन कराया जाये।
2. मा0 कुलाधिपति के आदेश संख्या : ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं सपठित आदेश संख्या : ई–4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि **ए0पी0आई0 स्कोर की गणना करके इसे समेकित रूप में वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा** तथा अभ्यर्थियों की आपत्तियां प्राप्त की जायेगी

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

जिनका निराकरण संवीक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। आपत्तियों के निराकरण के बाद संशोधित ए0पी0आई0 स्कोर पुनः वेब पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा। कृपया इस व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

3. इसी प्रकार मा0 कुलाधिपति के आदेश संख्याः ई–3019/32--जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं सपठित आदेश संख्याः ई–4229/जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि सहायक आचार्य के सन्दर्भ में **लिखित परीक्षा का परिणाम यथा सम्भव उसी दिन घोषित किया जाये** जिस दिन परीक्षा सम्पन्न हो। साथ ही इसे **समेकित रूप में तत्काल वेब पोर्टल पर प्रकाशित कर दिया जाये।** इस पर यदि किसी अभ्यर्थी की कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निराकरण करके संशोधित प्राप्तांक पुनः प्रकाशित कर दिया जाये। यह सुनिश्चित किया जाये कि इन निर्देशों का कोई विचलन न हो।

4. आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि "लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी होगा।" इसका आशय यह है कि

   a) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान में अपनी परीक्षायें परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं, उसी प्रकार भर्ती के लिये भी परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

   b) परीक्षा नियंत्रक को इस प्रक्रिया से कदापि पृथक न किया जाये।

   c) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की परीक्षाओं के लिये प्रश्न पत्र आदि teaching faculty से बनवाकर परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है, उसी प्रकार की व्यवस्था भर्ती के लिये भी सुनिश्चित की जाये।

   d) **सेवा प्रदाता वाह्य एजेन्सियों से प्रश्न पत्र आदि न बनवाया जाये।**

   e) जिस विषय के लिए चयन किया जा रहा है, लिखित परीक्षा के प्रश्नपत्र में उसी विषय के प्रश्न पूंछे जायें।

5. आदेशों में यह व्यवस्था है कि साक्षात्कार के विभिन्न चरणों की प्रकिया की आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग की जायेगी और इसे कम से कम तीन महीने सुरक्षित रखने का दायित्व कुलपति का होगा। इस सन्दर्भ में यह सुनिश्चित किया जाये कि

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

a) आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग आरम्भ करने से पूर्व पूरे स्थल की समग्रता में रिकार्डिंग कर ली जाये।

b) आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग इस प्रकार की जाये कि चित्रण तथा आवाज स्पष्ट हो।

c) **<u>आडियो एवं वीडियो रिकार्डिंग इस प्रकार की जाये कि कौन आदमी बोल रहा है उस पर कैमरा फोकस हो।</u>**

6. साक्षात्कार की प्रकिया के सन्दर्भ में निम्न व्यवस्था दी गयी है:–

"shortlisted अभ्यर्थियों की teaching skills की परीक्षा ली जायेगी। इस हेतु shortlisted अभ्यर्थियों नियत तिथि पर आमंत्रित किया जायेगा तथा प्रत्येक को एक विषय दिया जायेगा जिस पर उनके द्वारा एक Power Point Presentation तैयार करना होगा और उसके आधार पर 15–20 छात्रों की उपस्थिति में विषय का प्रस्तुतीकरण करना होगा। Power Point Presentation तैयार करने की प्रकिया तथा प्रस्तुतीकरण की कार्यवाही चयन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में सम्पादित की जायेगी।"

इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि

a) साक्षात्कार की प्रकिया के बारे में जो भी निर्देश हैं उससे चयन समिति को सबसे पहले अवगत कराया जाये और उन्हें पूरी बातें स्पष्ट रूप से बतायी जायें।

b) Power Point Presentation बनाने के लिए Topic विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा दिया जाये और यह Topic उसी विषय से सम्बन्धित होगा जिसके लिए भर्ती की जा रही है।

c) Power Point Presentation बनाने की प्रकिया चयन समिति के समक्ष सम्पन्न होगी।

d) Power Point Presentation का प्रस्तुतीकरण इस प्रकार व्यवस्थित किया जायेगा जैसे कोई आचार्य कक्षा को पढ़ाता है। चयन समिति पीछे बैठकर प्रस्तुतीकरण प्रकिया का आकलन करेगी।

e) Power Point Presentation के दौरान उसी विषय के बच्चे उपस्थित रहेंगे जिस विषय का प्रस्तुतीकरण हो रहा है। उपस्थित बच्चों की भूमिका

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

केवल दर्शक की नहीं होगी वरन् उनसे अपेक्षा होगी कि वह अभ्यर्थी से प्रश्न पूछे। इसके लिए बच्चों को पहले से ब्रीफ कर दिया जाये।

7. यह आदेश माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि समस्त कुलपति/निदेशक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डा0 पंकज एल0 जानी)
कुलाधिपति के विशेष कार्याधिकारी।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश

लखनऊ–226027

संख्या : ई– 4229 / जी0एस0
दिनांक 02, जुलाई 2021

आदेश

प्रदेश के विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु 'साक्षात्कार में पारदर्शिता' लाने के उद्देश्य से प्रक्रिया निर्धारण विषयक आदेश संख्याः ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 निर्गत किया गया है। इस विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों की माह जून, 2021 में की गयी समीक्षा के दौरान इस आदेश पर विस्तृत चर्चा की गयी। विभिन्न विश्वविद्यालयों से जो व्यवहारिक एवं विधिसम्मत सुझाव प्राप्त हुए, उसके आलोक में पूर्व पारित आदेश की व्यवस्थाओं में निम्नवत् आंशिक संशोधन/स्पष्टीकरण निर्गत किया जाता है:–

अ–सहायक आचार्यः–

1. सहायक आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1190/सत्तर–1–2019–16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या–F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स–II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों की व्यवस्था के अनुसार गणना की जायेगी।
3. पूर्व आदेश में विभिन्न अभ्यर्थियों के विषय की जानकारी (Domain Knowledge) के लिए 20 अंकों की ऑबजेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा की व्यवस्था रखी गयी थी। उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स–II के Table-3A में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना के अनुपात में ऑब्जेक्टिव टाइप लिखित परीक्षा अब 40 अंकों की होगी।
4. Table-3A के अनुसार स्कोर की गणना से प्राप्त अंक तथा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
5. गणना तथा लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार संशोधन/स्पष्टीकरण के साथ पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में संवीक्षा समिति, अभ्यर्थियों से आपत्ति प्राप्त करने तथा परीक्षा संचालन आदि सम्बन्धी शेष व्यवस्थायें यथावत् रहेंगी।
6. उपरोक्तानुसार तैयार की गयी मेरिट लिस्ट से पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार अभ्यर्थियों की Short-listing की जायेगी और उन्हें साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जायेगा।
7. Short-listing के उपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त रेगुलेशन में दी गयी व्यवस्था के आलोक में Short-listed अभ्यर्थियों की साक्षात्कार की कार्यवाही दो भागों में की जायेगी। प्रथम भाग में शिक्षण कौशल की जानकारी का परीक्षण किया जायेगा तथा द्वितीय भाग में साक्षात्कार

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

सम्पन्न कराया जायेगा। यह कार्यवाही पूर्व आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार सम्पन्न होगी।

ब–सह आचार्य एवं आचार्यः–

1. सह आचार्य एवं आचार्य के पद पर चयन हेतु प्रक्रिया के दो चरण होंगे। पहला चरण Short-listing का होगा और दूसरा चरण साक्षात्कार का।
2. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा शासनादेश संख्या–1190/सत्तर–1–2019–16(114)/2010, दिनांक 15 अक्टूबर, 2019 द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रेगुलेशन संख्या–F.1-2/2017(EC/PS), दिनांक 18 जुलाई, 2018 को लागू करने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त रेगुलेशन के आलोक में स्पष्ट किया जाता है कि बेसिक अकादमिक स्कोर तथा ए0पी0आई0 स्कोर की गणना अलग नहीं की जायेगी, वरन् उक्त रेगुलेशन के अपेन्डिक्स–II के Table-2 में दी गयी व्यवस्थानुसार गणना की जायेगी। यदि विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित प्रक्रिया से विरोधाभासी हों तो विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित विश्वविद्यालय के अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों द्वारा विहित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. उपरोक्तानुसार गणना उपरान्त एक समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी।
4. विश्वविद्यालय विशेष के संदर्भ में सम्बन्धित अधिनियमों/परिनियमों/शासनादेशों/नियामक संस्थाओं द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या यदि काफी अधिक है तो कुलाधिपति के आदेश संख्याः ई–3019/32–जी0एस0/2020, दिनांक 18 मई, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार Short-listing की जायेगी तथा आगे की कार्यवाही उक्त आदेश दिनांक 18 मई, 2021 के अनुसार सम्पादित की जायेगी।

अन्य निर्देश

इस प्रकार सीधी भर्ती के प्रकरणों में 2 से अनधिक अभ्यर्थियों की एक प्रतीक्षा सूची भी बनाई जायेगी जिसकी वैधता अवधि परिणाम की घोषणा की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगी।

Anandi Patel

(आनंदीबेन पटेल)
कुलाधिपति

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति, डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास, विश्वविद्यालय, मोहान रोड, लखनऊ
2. कुलपति, आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, अयोध्या
3. कुलपति, बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, बांदा
4. कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर
5. कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर
6. कुलपति, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ
7. कुलपति, उ0प्र0 पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा
8. कुलपति, डा0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा
9. कुलपति, डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या
10. कुलपति, महात्मा ज्योतिबा फुले रूहेलखण्ड, विश्वविद्यालय, बरेली
11. कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
12. कुलपति, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर
13. कुलपति, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर
14. कुलपति, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी
15. कुलपति, छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर
16. कुलपति, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
17. कुलपति, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
18. कुलपति, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज
19. कुलपति, उ0प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज
20. कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर
21. कुलपति, महात्मा गाँधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
22. कुलपति, उ0प्र0 हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
23. कुलपति, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, आई0ई0टी0 कैम्पस सीतापुर रोड लखनऊ
24. कुलपति, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, सीतापुर–हरदोई बाईपास रोड, लखनऊ
25. कुलपति, भातखण्डे संगीत संस्थान अभिमत–विश्वविद्यालय, लखनऊ
26. कुलपति, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
27. कुलपति, अटल बिहारी वाजपेई चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
28. कुलपति, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ
39. निदेशक, संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड, लखनऊ
30. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

राज्यपाल सचिवालय उत्तर प्रदेश
लखनऊ – 226027

संख्या : ई– 2385 / जी0एस0
दिनांक : 22 अप्रैल, 2022

<u>कार्यालय ज्ञाप</u>

कृपया मा0 कुलाधिपति के आदेश संख्या : ई–3019 / 32–जी0एस0 / 2020, दिनांक 18 मई, 2021 एवं संशोधित आदेश संख्या : ई–4229 / जी0एस0, दिनांक 02 जुलाई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। अभी कुछ दिन पूर्व विभिन्न राज्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की सीधी भर्ती के बारे में प्रगति की समीक्षा भी मा0 कुलाधिपति द्वारा की गई थी।

बहुधा यह शिकायतें प्राप्त होती हैं कि विश्वविद्यालयों / संस्थान में कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदारों का चयन कर लिया जाता है या विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्व से संविदा / एस0एफ0आई0 या अन्य तरीके से रखे गये कार्यरत शिक्षकों का चयन कर लिया जाता है।

इस आशय की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि लिखित परीक्षा के लिये बाह्य एजेन्सियों को आबद्ध किया जाता है और उन्हीं से प्रश्न पत्र भी बनवाये जाते हैं।

उक्त शिकायतों के आलोक में बैठक में चर्चा के उपरान्त मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि

1. शिक्षकों की सीधी भर्ती की प्रक्रिया में उपरोक्त आदेशों का अक्षरशः अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाये।
2. आवेदन पत्र में अन्य विवरणों के साथ–साथ आवेदक से इस आशय की उद्घोषणा ली जाए कि
   a) उसका विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्णकालिक / संविदा / अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक किसी अधिकारी / कर्मचारी से कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदारी नहीं है।
   b) यदि विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्णकालिक / संविदा / अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत कोई भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी / कर्मचारी उसका कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदार है तो वह अधिकारी / कर्मचारी कौन है और उसका आवेदक से क्या संबंध है।
   c) यदि आवेदक विश्वविद्यालय / संस्थान में पूर्णकालिक / संविदा / अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से ही कार्यरत है तो उसका भी अलग से उल्लेख करे

कुलसचिव
स0व0प0 कृषि एवं प्रौ0 विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ0प्र0)

कि वह वर्तमान में किस पद पर, किस व्यवस्था के अंतर्गत और कब से कार्यरत है।

3. उद्घोषणा की यह व्यवस्था भविष्य में आने वाले भर्ती विज्ञापनों के संदर्भ में लागू होगी। पूर्व विज्ञापित पदों के बारे में यह व्यवस्था नहीं लागू होगी।

4. ऐसे आवेदक जो विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत किसी भी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक अधिकारी/कर्मचारी के प्रत्यक्ष या परोक्ष रिश्तेदार हैं अथवा जो विश्वविद्यालय/संस्थान में पूर्णकालिक/संविदा/अन्य किसी व्यवस्था के अंतर्गत पूर्व से ही कार्यरत है, उनका पूरा विवरण भर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवेदन पत्रों की जांच के उपरान्त विश्वविद्यालय के वेबसाइट/भर्ती पोर्टल पर पब्लिक डोमेन में प्रकाशित किया जायेगा।

5. वर्तमान में प्रचलित सभी प्रकार की भर्ती के संदर्भ में चयन प्रकिया का अन्तिम परिणाम विश्वविद्यालय/संस्थान की कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी से अनुमोदित कराते समय कुलपति/निदेशक तथा रजिस्ट्रार द्वारा निम्नलिखित विवरण लिखित रूप से एजेण्डा और कार्यवृत्त में समाहित करके कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा:–

   a) इस आशय का प्रमाण पत्र कि सीधी भर्ती की प्रकिया सम्बन्धी उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से पालन किया गया है।

   b) यदि चयनित अभ्यर्थी में कोई ऐसा अभ्यर्थी चयनित हुआ है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कुलपति/निदेशक या विश्वविद्यालय/संस्थान में कार्यरत पूर्णकालिक कर्मी, संविदा कर्मी या अन्य किसी प्रकार के किसी कर्मी का कोई सम्बन्धी (रिश्तेदार) है तो उसका पूर्ण विवरण।

   c) यदि चयनित अभ्यर्थी में कोई ऐसा अभ्यर्थी का चयन हुआ है जो उसी विश्वविद्यालय/संस्थान में पहले से कार्यरत हो, तो उसका पूर्ण विवरण।

6. प्रस्तर–5 में वर्णित व्यवस्था का अनुपालन 01 जून 2021 के बाद से सम्पन्न समस्त भर्ती/चयन प्रक्रिया के संदर्भ में किया जायेगा।

7. जिन विश्वविद्यालयों/संस्थान में भर्ती/चयन परिणाम घोषित हो चुके हैं उनके बारे में भी प्रस्तर–5 की जानकारी विश्वविद्यालय/संस्थान की कार्य परिषद/बोर्ड ऑफ गवर्नर/सक्षम बॉडी के समक्ष आगामी 31 मई, 2022 से पूर्व प्रस्तुत की जायेगी।

8. आदेश दिनांक 18 मई, 2021 में यह स्पष्ट व्यवस्था दी गयी है कि "लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए कुलपति के पर्यवेक्षण में विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक उत्तरदायी होगा।" इसका आशय यह है कि

   a) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान में अपनी परीक्षायें परीक्षा नियंत्रक द्वारा सम्पन्न करायी जाती हैं, उसी प्रकार भर्ती के लिये भी परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)

b) जिस प्रकार विश्वविद्यालय/संस्थान द्वारा अपने विश्वविद्यालय/संस्थान की परीक्षाओं के लिये प्रश्न पत्र आदि अपनी आन्तरिक teaching faculty से बनवाकर परीक्षा सम्पन्न करायी जाती है उसी प्रकार की व्यवस्था भर्ती के लिये भी सुनिश्चित की जाये।

c) बाह्य एजेन्सियों से प्रश्न पत्र आदि न बनवाया जाये।

9. यह आदेश माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(महेश कुमार गुप्ता)
कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि समस्त कुलपति/निदेशक, राज्य विश्वविद्यालय/संस्थान, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(हेमन्त कुमार चौधरी)
कुलाधिपति के उप सचिव।

कुलसचिव
स०व०प० कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय
मेरठ-250110 (उ०प्र०)